23. ग्रामीण विकास

सिंहावलोकन

ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास, भारत सरकार के समक्ष प्रमुख कार्यों में से एक है। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय साझान्यूनतम कार्यक्रम, देश के समग्र विकास में गांवों के महत्व को दोहराता है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु काम करने को प्रतिबद्ध है कि जो विगत में विभिन्न कारणों से शहरी क्षेत्रों से पिछड़ गए।

सरकार की इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और भुखमरी हटाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-शहरी अंतराल पाटना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और ग्रामीण जनता की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के सृजन हेतु हाल के वर्षों में कई नई पहल की गई हैं।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु संसाधन आवंटन में सम्मेय लगातार बढ़ोत्तरी से ग्रामीण विकास का नवीयन महत्व प्रकट होता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास हेतु धन आबंटन, नौवीं योजना के 42,874 करोड़ रुपये से अपेक्षाकृत बढ़ाकर 76,774 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान मंत्रालय के लिए 24,480 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। वर्ष 2006-07 का बजट अनुमान 31,443.62 करोड़ रुपये है।

लोगों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की चुनौती से निपटना, ग्रामीण क्षेत्र के विकास का केंद्रबिंदु है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) में स्वरोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार-सृजन के अलावा ये मजदूरी रोजगार योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्ति सर्जन भी सुनिश्चित करती है। बुनियादी ग्रामीण संरचना के निर्माण और उन्नयन हेतु भी मंत्रालय ने विविध योजनाओं द्वारा पहल की है। ग्रामीण संयोजन सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत गांव की सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उम्मीद की जा रही है कि विस्तारित और नवीकृत ग्रामीण सड़क नेटवर्क से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नियमित और उचित बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध होंगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि की गति में तेजी आएगी। इसी तरह ग्रामीण जनसंख्या के अति संवेदनशील खंड की कल्याण संवृद्धि हेतु, इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई), त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन (टीएससी), के तहत आवास, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बंजर भूमि के उर्वरता ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों की हानि को रोकने के लिए वाटरशेड यानी जलसंभर के माध्यम से क्षेत्र विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत सरकार की गरीबों तक सीधे पहुंच रहेगी और विकास के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा अकुशल मजदूरी रोजगार वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाएगा।

यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया और यह लागू किस्तों में होगा। पहली किस्त में 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। 2007-2008 में दूसरी किस्त में 130 जिलों को जोड़ा गया। पहले लक्ष्य के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहले 5 वर्ष में पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। संपूर्ण राष्ट्र को एक सुरक्षित दायरे और मांग की दृष्टि से इस योजना का विस्तार 274 ग्रामीण जिलों में किया गया। यह तीसरी किस्त थी और यह 1 अप्रैल, 2008 में आरंभ हुआ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कानून है। इसमें रोजगार मजदूरी गारंटी किसी अनुमानित स्तर पर नहीं है। इस अधिनियम का लक्ष्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना है। इसका सीधा लक्ष्य है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का कार्य द्वारा सही उपयोग और गरीबी का कारण जैसे सूखा, जंगल का कटना, मिट्टी के कटाव को सही तरीके से विकास में लगाना है। जड़ से लोकतंत्र की प्रगति और सरकार की पारदर्शिता और जिम्मेदारी भी लक्ष्य है।

प्रत्येक जिले को स्थानीय समुदाय की जरूरतों से व्युत्पन्न नीचे-उल्टे उपागम से एक पंचवर्षीय परिपेक्ष योजना तैयार की है। इस योजना को विशेषकर व्युत्पन्न समुदाय का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। कार्य-निष्पादन द्वारा अधिनियम के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में पंचायती राज संस्थाओं, पंचायतों की अहम भूमिका है। इस अधिनियम की अनोखी बात है समय पर रोजगार गारंटी और 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होना है। अंतरिम राहत—अंतिरिम राहत न होने पर भी राज्य सरकार को 90 प्रतिशत रोजगार मुहैया करवाना होगा। यह खर्च केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बेरोजगार भत्ता में से स्वत: निकालना होगा। इस अधिनियम में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होगी।

दो वर्षों में अधिनियम के लक्ष्य के आधार पर उसके कार्यावन्यन का ट्रेड

रोजगार के अवसर बढ़ाना : 2007-2008 में 330 जिलों के 3.39 करोड़ परिवारों को रोजगार और 143.5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उत्पत्ति की गारंटी दी गई। 2008-2009 में जुलाई तक 2.53 करोड़ घरों को रोजगार और 85.92 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उत्पत्ति की गारंटी।

मजदूरी कमाने के जरिए वृद्धि करना और न्यूनतम मजदूरी का असर : भारत के गरीब ग्रामीण के जीवनयापन स्रोतों को मजबूत कर मजदूरी कमाने के जरिये में वृद्धि कर, 2007-2008 में 68 प्रतिशत से अधिक की (फंड) राशि मजदूरों को मजदूरी देने के लिए उपयोग किया गया है। 2008-2009 में 73 प्रतिशत फंड (राशि) का उपयोग मजदूरी देने के लिए किया गया है।

गरीबी का विस्तार से अधिक होना वृद्धि प्राकृतिक के स्वयंलक्षित कार्यक्रम में उच्च कार्य में अल्पसमूह की भागीदारी जैसे 2007-2008 में अनुसूचित जाति/जनजाति (51%) महिलाएं (43%) और जुलाई 2008-2009 में अनुसूचित जाति-जनजाति का (53%) और महिलाओं की (49%) भागीदारी होनी है।

ग्रामीण भारत के प्राकृतिक संसाधन को मजबूत करना : 2007-2008 में 17.88 लाख कार्यो का उत्तरदायित्व लिया गया। इनमें 49% जल संचयन है। 2008-2009 के जुलाई तक 16.88 लाख कार्यों की जिम्मेदारी लेनी है। जिसमें 46% जल संचयन की है।

गरीबों के लिए वित्तीय समावेश : केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस से करने को प्रोत्साहित कर रही है। इसी कारण 2.9 करोड़ (जुलाई 2008 तक) एनआरईजीए बैंक और पोस्ट ऑफिस में असंगठित मजदूरी के खाता खुले हैं। मंत्रालय एनआरईजीए के कामगारों को जनश्री बीमा योजना के तहत जीवन बीमा करवाने को भी प्रोत्साहित कर रहा है। सर्वप्रथम स्वतंत्र अध्ययन से यह इंगित हुआ कि खेत की उत्पादकता बढ़ाने के लिए (वाटर हार्वेसिंटग, बांध का निरीक्षण, भूमिगत पानी का भराव, मिट्टी की नमी को बढ़ाना, उर्वरकता और लघु सिंचाई) विस्थापन पर रोक, बाजारों को बढ़ावा, ग्रामीण संपर्क कार्यकर्ता द्वारा सेवा परिवार की आमदनी में बढ़ावा, अनुपात अनुसार महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी, प्राकृतिक संसाधन की पहचान करना।

मंत्रालय एनआरईजीए के द्वारा स्थानीय निकायों में जीवनयापन हेतु सुरक्षा देने के लिए हस्तांतरण करता है। मंत्रालय ने विभिन्न कदम उठाये ताकि योजना का कार्यान्वयन प्रभावी हो। इसमें प्रतिभागी प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण, वितरण की पद्धति सुधारना और लोगों का लेखा-जोखा रखना है।

रोजगार जागरूकता पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। यह पुरस्कार राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्रामीण पंचायत स्तर पर नागरिक सामाजिक संगठन द्वारा अद्वितीय कार्य के लिए दिया जाता है। इसके योजना के लागू करने के प्रबंध और अधिकार में जागरूकता लाना ही उद्देश्य है।

योजना को लागू करने के लिए सामर्थ्य बढ़ाना : सामर्थ्य को मजबूत करना और निपुण लोगों को प्राथमिकता की आवश्यकता है ताकि कारगर योजना, कार्य निष्पादन, लोगों का प्रकटीकरण और सामाजिक हिसाब-किताब रखना है। मंत्रालय ने एनआरईजीए के अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा। अब तक 6.2 लाख पीआरआई अधिकारियों और 4.82 लाख सतर्कता और निगरानी समिति के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया (जुलाई 08 तक)। केंद्र सरकार तकनीकी सहायता, समाज के मुख्य क्षेत्र, प्रशिक्षण, कार्य योजना, सूचना और प्रौद्योगिकी, सामाजिक हिसाब-किताब और फंड प्रबंधन राज्य सरकार के सभी स्तर पर कार्यान्वयन किया।

सर्वसुलभ होने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिक में वृद्धि : एनआईजीए में प्रबंधन सूचना पद्धति (एमआईएस) की वेब द्वारा मदद से सबसे बड़ा ग्रामीण परिवारों का हिसाब रखने में सक्षम हो सका। एम आई एस ने सभी समालोचक पारामीटर को स्थान दिया जैसे परियोजना का ढेर पारित कार्य, मजदूरी भुगतान रोजगार मुहैया करवाने के दिन, कार्य के दिन और कार्य में वृद्धि सभी आम लोगों के लिए उपलब्ध है। डाटा इंजीनियर सभी रिकॉर्डों का सतर्कता से जांच करते हैं और प्रबंधन जागरूक पीढ़ी को अनुकूल कर्मठता प्रदान कर रही है।

पारदर्शिता और लोगों के बीच साख बनाने के लिए निगरानी विकसित करना—निरीक्षण और मूल्यांकन : मंत्रालय ने विस्तार पूर्वक निरीक्षण पद्धति की स्थापना की है। इस वर्ष 260 राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन और 330 कार्यस्थल पर भाग प्रथम और दो में क्षेत्रीय अधिकारियों ने कम से कम एक बार दौरा अवश्य किया है।

ब्लॉक स्तर पर परियोजना के सौ प्रतिशत कारगर निरीक्षण, 1%. जिलास्तर पर और 2% राज्य स्तर पर निरीक्षण करना सुनिश्चित किया है।

एनआरईजीए को आगे भी मजबूत बनाने के लिए मार्गयोजना अभिबिंदु के लिए कर्त्तव्य शक्ति का गठन : एनआरईजीए के आशावादी और बहुल प्रभाव के लिए मंत्रालय ने कर्तव्य शक्ति का गठन कर विभिन्न कार्यक्रमों पर संभावना तलाश रही है जैसे राष्ट्रीय हॉटीकल्चर मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, भारत निर्माण, वाटरशिल्ड विकास अभिव्यक्ति एनआरईजीए के काम के महत्व

को बढ़ायेगा साथ ही इसका असर प्रभावी होगा। सक्षम योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए लोगों से सामंजस्य स्थापित करना भी इसका उद्देश्य है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) 25 सितंबर, 2001 को प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम पहले से जारी रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जोखिम पूर्ण व्यवसायों से हटाए गए बच्चों के अभिभावकों पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि इस योजना के तहत रोजगार देने में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को वरीयता दी जाती है लेकिन गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, जहां एन.आर.आई.जी.ए. प्रारंभ हो चुका है।

इस योजना का स्वीकृत वार्षिक परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है, जिसमें 50 लाख टन अनाज शामिल है। योजना में खर्च की जाने वाली धनराशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज मुफ्त मुहैया कराया जाता है। रियायती दर से अनाज के दाम का भुगतान केंद्र द्वारा सीधे भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है लेकिन एफसीआई गोदामों से कार्यस्थल/सार्वजनिक वितरण केंद्र तक अनाज ढुलाई का खर्च और इसके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस योजना के अधीन काम में लगे मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में न्यूनतम 5 किलोग्राम अनाज और कम से कम 25 प्रतिशत मजदूरी नकद दी जाती है।

यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों पर कार्यान्वित किया जाता है। पंचायत का प्रत्येक स्तर कार्ययोजना बनाने और इसे लागू करने के मामले में एक स्वतंत्र इकाई होता है। जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायतों के बीच संसाधनों का वितरण 20:30:50 के अनुपात में किया जाता है।

ग्राम पंचायत उपलब्ध संसाधनों तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम सभा के अनुमोदन से कोई कार्य शुरू कर सकती है। ग्राम पंचायतों के लिए आबंटित धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में ढांचागत सुविधाओं के विकास पर खर्च करना होता है। जिला पंचायत और मध्यवर्ती पंचायतों के संसाधनों के हिस्से का 22.5 प्रतिशत अजा/अजजा के लिए लागू निजी लाभार्थी योजना पर खर्च किया जाना आवश्यक है। इस योजना में कोई भी काम ठेकेदारों से कराने की अनुमति नहीं है और न ही इसमें किसी मध्यस्थ तथा बिचौलिया एजेंसी को शामिल करने का प्रावधान है। कार्यक्रम पर लगातार निगरानी रखी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रतिष्ठित संस्थानों और प्रायोजित संगठनों द्वारा प्रभाव-अध्ययन के जरिए कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम नवंबर, 2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा देश के चुने हुए 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है ताकि इन जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक-सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के जरिए

पूरक दिहाड़ी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के काम को और गहन बनाया जा सके। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित था। इस कार्यक्रम का अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 150 एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. जिलों सहित देश के 200 चिह्नित जिलों में लागू हो गया है, में उपनय हो गया है। यह अधिनियम, प्रत्येक उस ग्रामीण परिवार को, जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा प्रकट करें, 100 दिन के काम की गारंटी प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

शत-प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क-संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से इस प्रकार जोड़ना है ताकि 500 या इससे अधिक आबादी वाला गांव (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 व्यक्ति) भारत निर्माण के अंतर्गत, 2009 तक समयबद्ध तरीके से, मैदानी क्षेत्रों में 1000 से ज्यादा जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्र और पहाड़ी व जनजातीय इलाकों में 500 या ज्यादा की जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्रों को संयोजन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का क्रमबद्ध उन्नयन भी इस योजना का समाकल घटक है। तदनुसार 1,46,185 किलोमीटर, बारहमासी सड़कों द्वारा 66,802 आबाद क्षेत्रों को जोड़ने की एक कार्य-योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना में, विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन/नवीकरण भी परिलक्षित हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत निर्माण के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 48,000 करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। क्रियान्वयन रणनीति, गुणवत्ता, मूल्य-प्रबंधन एवं 'समय पर' सुपुर्दगी पर फोकस कर रही है।

जुलाई, 2008 तक 81,717 करोड़ रु. के परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई जिसमें 38,999 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें 86,146 सड़क जिसकी लंबाई 3,31,736 कि.मी. होगी। इसमें 1,75,629 कि.मी. की 52,218 सड़क का कार्य पूरा हुआ जिनमें 35,295 करोड़ रुपये व्यय हुए।

ग्रामीण आवास

मानव के लिए मकान मूलभूत आवश्यकता है। बेघर लोगों के अधिकार को विस्तार देने के लिए स्थायी निधि दी जायेगी जो उन्हें सामाजिक रूप से तुरंत ही पूर्णत: प्राप्त हो।

ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना की शुरुआत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान कर पक्का मकान बनवाती है। इस योजना की विस्तृत जानकारी और कार्य नीचे दिया गया है :

इंदिरा आवास योजना

1985-86 से सरकार इंदिरा आवास योजना द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कार्यावन्यन कर रही है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को नई निर्माण से ऊपर लाना, ग्रामीण घरों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बंधुआ मजदूरों को 1993-99 से मदद कर रही है। इस योजना के विस्तार के तहत गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले इंदिरा गांधी आवास आबंटन में अनुसूचित जाति, जनजाति को 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना का विस्तार सेवानिवृत्त सेना और अर्द्धसैनिक बल के मुठभेड़ में मारे गए को भी आबंटित किया गया है। 3 प्रतिशत घर शारीरिक और मानसिक विकलांग को भी दिया जाता है। 2006-07 राशि और लक्ष्य प्रत्येक राज्य के गरीबी रेखा के नीचे के अल्पसंख्यकों को भी चिह्नित किया जा रहा है।

योजना के तहत, वित्तीय संसाधन केंद्रीय और राज्य 75:25 के अनुपात में बांटती है। आवासविहीन लोगों में कमी लाना ही मुख्य उद्देश्य है। 75% बोझ घर की कमी को और 25% गरीबी अनुपात को दी गई है जो राज्य स्तर योजना आयोग ने बांटा है। जिला स्तर पर 75% बोझ घर की कमी और कुल जनसंख्या के 25% अनुसूचित जाति और जनजाति को दी गई है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषद पंचायत लक्ष्य और आबंटन और इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत कितना घर बनेगा तय करती है। इसलिए ग्राम सभा लाभार्थी, लक्ष्य निर्धारित करती है। यह स्थायी इंदिरा आवास योजना के प्रतीक्षासूची से लिया जाता है। इसके बाद किसी अन्य उच्च अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

1.4.2008 के अनुसार निर्माण सहायता का निर्धारण मैदानी इलाके में 25,000 रु. से 35,000 रु. प्रति इकाई और 27,500 रु. से 38,500 रु. पहाड़ी और कठिन क्षेत्र में। कच्चा मकान को पक्का करने के लिए प्रति इकाई 12,500 रु. से 15,000 रु. प्रति इकाई दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय से मांग की कि इंदिरा आवास योजना में ब्याज दर पृथक हो। 20,000 तक का ब्याज 4% है।

आगे, महिला सदस्यों को निवास मिलने में लाभ होता है। दूसरा, पति-पत्नी दोनों को ही घर आबंटित किया जाता है। केवल परिवार में कोई महिला सदस्य न होने पर ही घर के पुरुष को आबंटित किया जाता है।

शौचालय, धुआंरहित चूल्हा, सही नाली प्रत्येक इंदिरा आवास योजना के घरों में होना चाहिए। प्रत्येक घर में शौचालय अलग होना चाहिए।

घर का निर्माण अकेले किया जायेगा। इसमें किसी भी कंट्रेक्टर का दखल नहीं होना चाहिए।

इंदिरा आवास योजना के तहत किसी तरह का विशेष डिजाइन, तकनीक और सामग्री नहीं होती। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है।

योजना के तहत 181.51 लाख घर का निर्माण इंदिरा गांधी आवास योजना के लिए 36900.41 करोड़ रुपया व्यय हुआ (31/5/2008 तक)

2007-2008 का प्रदर्शन

2007-2008 के दौरान 4032.70 करोड़ रुपया ग्रामीण आवास के लिए केंद्र ने आबंटित किया। निर्माण ऊपर लाने के लिए 5458.01 करोड़ रुपए आबंटित हुआ (राज्य सरकार का शेयर भी)

2008-2009 के दौरान प्रदर्शन

2008-09 के लिए केंद्र ने 5645.77 करोड़ रुपए निर्माण ऊपर लाने के लिए 21.27 लाख इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य है। इसमें से 1694.48 करोड़ रुपये पहले किस्त के रूप में दिया और अब तक 85879 घरों का निर्माण होगा। (31/5/2008 तक)

भारत निर्माण

भारत निर्माण छह में से एक विभाग ग्रामीण आवास भी है। भारत निर्माण के अंतर्गत 60 लाख घर निर्माण इंदिरा गांधी आवास योजना में चार वर्ष 2005-06 से 2008-09 में होना है। 50.38 लाख घर पर पहले तीन वर्ष के भारत निर्माण कार्यक्रम के दौरान 13365.52 करोड़ खर्च होना है। वर्ष के

अनुसार घर का निर्माण निम्नलिखित है:

वर्ष	लक्ष्य (लाख में)	घर का निर्माण (लाख में)	खर्च (करोड़ में)
2005–06	14.41	15.51	3654.09
2006–07	15.33	14.98	4253.42
2007–08	21.27	19.88	5458.01
कुल	50.71	50.38	13365.52

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वास्ते एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में पहली अप्रैल, 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं-सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। लोगों की अभिवृत्ति और कौशल, संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलाप समूह की स्थापना पर यह योजना ध्यान देती है। इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है। इसलिए इसमें स्वयंसेवी सहायता समूहों के विकास और पोषण, जिसमें कौशल-विकास भी शामिल है, में गैर-सरकारी संगठनों/सीबीओज/व्यक्तियों/बैंकों को स्वयं सहायता संवर्द्धन संस्थान/सुविधा प्रदाता के रूप में शामिल किया जाता है। योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सामाजिक मध्यस्थता और कौशल विकास प्रशिक्षण पर आने वाली लागत उपलब्ध कराई जाती है। समूहों के विकास की अवस्था के आधार पर प्रशिक्षण, आवर्ती कोष से आबंटन और आर्थिक कार्य-कलाप हेतु निधि के उपयोग में डी.आर.डी.ए. और राज्यों को लचीलेपन की गुंजाइश दी गई है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए गरीब व्यक्तियों की क्षमता और हर क्षेत्र की भूमि-आधारित और अन्य संभावनाओं के आधार पर बड़ी संख्या में लघु उद्यमों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए इसमें विभिन्न घटकों जैसे गरीब व्यक्तियों में क्षमता पैदा करना, कौशल विकास प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन और ढांचागत सहायता पर विशेष बल दिया जाता है। योजना के अंतर्गत सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से दी जाती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपये (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है जो अधिकतम 10,000 रुपये है) तय की गई है। स्वयं-सहायता समूहों को परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये, इनमें जो भी कम हो, तय की गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों के लिए सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।

एसजीएसवाई में ग्रामीण गरीबों में कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुरूप स्वरोजगारियों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों से, 40 प्रतिशत महिलाओं और 3 प्रतिशत विकलांगों को शामिल करना अनिवार्य बनाया गया है। योजना के तहत एक बार ऋण देने के बजाय बहु-ऋण सुविधा को तरजीह दी जाती है।

स्वयं-सहायता समूह 10 से 20 सदस्यों द्वारा मिलकर गठित हो सकता है। अपंग व्यक्तियों और दुर्गम क्षेत्रों, जैसे पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान, छिटपुट आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में यह संख्या न्यूनतम पांच भी हो सकती है। ये स्वयं-सहायता समूह ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बी.पी.एल. सूची में से होने चाहिए। स्वयं-सहायता समूहों को मोटे तौर पर तीन चरणों—समूह बनाना, आवर्ती कोष के जरिए पूंजी निर्माण तथा कौशल विकास और आय अर्जन के साधन जुटाने के लिए आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने की प्रक्रिया से गुजरना होता है।

स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक योग्यता और बाजार उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक ब्लाक में 10 मुख्य क्रियाकलापों तक का चयन किया जा सकता है ताकि स्वरोजगारी अपने पूंजीनिवेश से समुचित आय प्राप्त कर सकें। योजना में सामूहिक प्रस्तावों पर जोर दिया गया है अर्थात् ब्लाक स्तर पर चार-पांच चुनी हुई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और उन गतिविधियों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस योजना में चुनी हुई गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रत्येक स्वरोजगारी की आवश्यकताओं के अनुरूप उसके विकास पर जोर दिया जाता है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों और स्वयं-सेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। योजना पर खर्च की जाने वाली राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत शुरू से अब तक 22.52 लाख स्वयं-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है जिनमें 66.97 लाख स्वरोजगारी शामिल हैं। इन स्वरोजगारियों में 35.54 लाख स्वयं-सहायता समूह के सदस्य और 31.43 लाख व्यक्तिगत स्वरोजगारी शामिल हैं। इन्हें कुल 14,403.73 करोड़ रुपये की निवेश सहायता दी गई है। सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों में 45.54 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हैं और 47.85 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। 2006-07 के दौरान इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में निर्देश दिया गया है कि राज्य बेरोजगार, वृद्ध, बीमार और विकलांग नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगी। दूसरी ओर इसके जो हकदार नहीं हैं, उनकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमानिर्धारण हो। राज्य की नीतियों में एकरूपता का निर्देश है इसलिए भारत सरकार द्वारा 1995 में गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम को लाया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना है, जिसका लाभ राज्य को तत्काल और भविष्य में हो सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना चलाया जा रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 19 नवंबर 2007 को आरंभ किया गया। इस योजना के तहत 65 वर्ष के या अधिक, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को केंद्रीय सहायता से 200 रुपया प्रदान किया जाता है। पहले राष्ट्रीय पेंशन योजना सिर्फ निराश्रितों के लिए था। 160 लाख लोग इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभ उठा रहे हैं जबकि राष्ट्रीय पेंशन योजना से मात्र 87 लाख लोग ही लाभ ले पा रहे थे।

1 अप्रैल, 2006 से वृद्धावस्था पेंशन 75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार भी 200 रुपया पेंशन के रूप में देने का प्रयास करें ताकि 400 रुपये पेंशन वृद्धों को मिल सकें। वर्तमान में 25 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश 200 रुपये से अधिक पेंशन दे रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल, 2000 को आरंभ हुआ इसके अंतर्गत प्रतिमाह 10 किलो खाद्‌य पदार्थ मुफ्त में उपयुक्त व्यक्ति को दिए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लाभार्थी को अन्न नहीं मिलता। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं। यह परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो और मृतक की उम्र 18 से 64 वर्ष हो। यह मौत सामान्य या दुघर्टना से हो सकती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम हेतु वार्षिक आय की 4200 करोड़ रुपए और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 3800 करोड़ रुपए और 400 करोड़ रूपए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना पर खर्च हो रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम का 2002-03 में राज्य योजना हस्तांतरण से राशि वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता द्वारा की जाती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होता है।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मजबूती प्रदान करने और उन्हें अपने कामकाज में अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 1999 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं। 2007-08 के दौरान (डीआरडीए) प्रशासन के लिए 250 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया। चालू वित्त वर्ष 2008-09 में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

कपार्ट

गांवों में खुशहाली बढ़ाने हेतु नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक गतिविधियों को सहयोग, प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने सितंबर, 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक स्वायत्त संस्था 'जन-सहयोग और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद' (कपार्ट) की स्थापना की।

कपार्ट की 9 प्रादेशिक समितियां/केंद्र हैं जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित हैं। प्रादेशिक समितियों को अपने-अपने प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं को 25 लाख रुपये तक के परिव्यय वाली परियोजनाएं मंजूर करने का अधिकार है। वर्ष 2006-07 के दौरान कपार्ट के लिए 70 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन किया गया। कपार्ट ने अपनी स्थापना से लेकर मार्च, 2006 तक 903.34 करोड़ रुपये लागत वाली 24466 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इसके तहत 752.61 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

जलसंभर विकास कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय भू-संसाधन विभाग द्वारा बंजर व निम्न कोटि की जमीन की उत्पादकता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के नाम से क्षेत्र-आधारित तीन जलसंभर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए वर्ष 1973–74 में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जहां निरंतर सूखे की आशंका बनी रहती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 195 जिलों के 972 ब्लाकों में चलाया जा रहा है। मरुभूमि के विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए 1977–78 में मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस समय यह कार्यक्रम सात राज्यों में 40 जिलों के 235 ब्लाकों में चल रहा है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989–90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्यत: उन इलाकों में परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम या सूखा–प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते।

1 अप्रैल, 1995 से ये तीनों कार्यक्रम जलसंभर विकास के लिए तय किए गए साझा दिशा–निर्देशों के तहत क्रियान्वित किए जा रहे हैं। 1995–96 से 2007–08 तक स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण और आबंटित निधि निम्नवत है :

योजना	स्वीकृत परियोजना	लाभांवित क्षेत्र लाख हेक्टेयर में	केंद्र द्वारा जारी कुल निधि करोड़ रुपये में
सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम	27439	137.20	2837.81
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	15746	78.73	2103.23
एकीकृत बजट भूमि विकास का कार्यक्रम	1877	107.0	2797.56
कुल आंकड़े	**45062**	**322.93**	**7738.60**

सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं 500–500 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत 5000–6000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मंजूर की जाती हैं। इन तीनों परियोजनाओं के लिए मानक लागत संशोधित करके 600 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच खर्च 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच लागत का बंटवारा 11:1 के अनुपात में होता है।

यह निधि सात किस्तों में जारी की जाती है, छह किस्ते 15 प्रतिशत की दर से जबकि अंतिम किस्त 10 प्रतिशत की दर से। पहली किस्त आरंभिक अनुमति आदेश के साथ जारी की जाती है और बाद की किस्तें उपलब्ध निधि के 50 प्रतिशत के इस्तेमाल होने पर जारी की जाती हैं और साथ में ये कागजात भी लगाने होते हैं : (1) तिमाही प्रगति रिपोर्ट, (2) इस्तेमाल प्रमाणपत्र, (3) पिछले वर्षों के खातों के लेखा परीक्षण विवरण, और (4) संस्थागत प्रबंध के संतोषप्रद पूर्ण होने का साक्ष्य।

परियोजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी समवर्ती विभाग (राज्य सरकार का), पंचायती राज संस्थान, या किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को बनाया जा सकता है। एक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी सामान्यत: 5000–6000 हेक्टेयर के क्षेत्र में 10–12 जलसंभर परियोजनाओं के कामकाज की देखरेख करती है। कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी को जलसंभर विकास टीम के रूप में चार विशेषज्ञों की एक तकनीकी टीम रखनी होती है और व्यक्तिगत परियोजनाएं (500 हेक्टेयर) जलसंभर

क्षेत्र (वाटरशेड एसोसिएशन) में रहने वाले स्थानीय लोगों द्वारा जलसंभर समिति (वाटरशेड कमेटी) नामक एक निर्वाचित निकाय के जरिए कार्यान्वित की जाती है।

भूमि संसाधन विभाग ने जलसंभर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय और प्रशासनिक, दोनों प्रकार से अधिकारसंपन्न बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल करते हुए 'हरियाली' नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) नाम से चल रहे सभी क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे। क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नई परियोजनाएं एक अप्रैल 2003 से हरियाली से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वित की जाएंगी। इस तिथि से पूर्व स्वीकृत हो चुकी परियोजनाएं 2001 के जलसंभर विकास दिशा-निदेर्शों के अनुसार कार्यान्वित की जाएंगी।

नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतें परियोजना कार्यक्रम एजेंसियों की समग्र देखरेख और निर्देशन में परियोजनाएं कार्यान्वित करेंगी। किसी विशेष ब्लाक/ताल्लुक के लिए मंजूर सभी परियोजनाओं के लिए एक मध्यस्थ पंचायत को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी बनाया जा सकता है। इन पंचायतों के पूरी तरह सशक्त न होने की स्थिति में जिला पंचायत या तो खुद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर सकती है या फिर कृषि, वानिकी, सामाजिक वानिकी, मृदा संरक्षण आदि उपयुक्त विभागों को या राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/संस्थान की किसी एजेंसी को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त कर सकती है। ऐसा करने में विफल रहने पर जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जिले में जलसंभर परियोजनाओं या संबंधित क्षेत्र विकास कार्यों के कार्यान्वयन में पर्याप्त अनुभव व निपुण किसी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन को उसकी विश्वसनीयता की जांच करने के बाद परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त कर सकती है।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायतों को जलसंभर के लिए विकास योजनाएं तैयार करने के काम में जरूरी तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इन गतिविधियों में भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन कार्यक्रम, ग्रामीण समुदायों के लिए सामुदायिक संगठन और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना जलसंभर विकास गतिविधियों का निरीक्षण, परियोजना के खातों की जांच और उन्हें अभिप्रमाणित करना, स्वदेशी तकनीकी जानकारी पर आधारित कम लागत वाली तकनीक को अपनाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना।

भूमि सुधार

भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत भूमि सुधार प्रभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित दो परियोजनाएं— (i) भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और (ii) राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण—क्रियान्वित की जाती हैं।

भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण

वर्ष 1988-89 में भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र से 100 फीसदी सहायता प्राप्त केंद्र प्रायोजित एक योजना विभिन्न राज्यों के आठ जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। रंगारेड्डी (आंध्र प्रदेश), सोणितपुर (असम), सिंहभूम (बिहार), गांधीनगर (गुजरात), मुरैना (मध्य प्रदेश), वर्धा (महाराष्ट्र), मयूरभंज (उड़ीसा) और दुर्गापुर (राजस्थान) जिलों में शुरू की गई इस योजना का मकसद भू-अभिलेखों के रखरखाव में सुधार की मैनुअल प्रणाली की मुश्किलों को दूर कर

भूमि रिकार्डों को अद्यतन (अपडेट) बनाना और विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों की जरूरतों को पूरा करना था। यह फैसला किया गया था कि भू-अभिलेखों के मूल आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि विकास नियोजन में मदद मिले और लोगों/नियोजकों और प्रशासकों को आसानी से रिकार्ड उपलब्ध हो सकें। बाद में इस परियोजना का विस्तार 18 और जिलों में किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण को अलग से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई। आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 299 जिलों में कुल 59.42 करोड़ रुपये खर्च किए गए। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के तहत 259 और जिलों को शामिल किया और 169.13 करोड़ रुपये जारी किए। वर्तमान में यह योजना देश के 582 जिलों में चलाई जा रही है। केवल वे जिले इसमें शामिल नहीं हैं जहां कोई भू-अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।

उपयोगकर्ताओं और आम जनता को कंप्यूटरीकरण भू-अभिलेख आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1997-98 के दौरान इस योजना को तहसील/तालुक स्तर पर लागू करने का फैसला किया गया। इस कार्यक्रम के परिचालन के लिए आवश्यक हार्डवेयर, साफ्टवेयर और अन्य सामग्री की खरीद के लिए राज्य सरकारों को धन जारी किया जाता है। अब तक 3519 तहसीलों/तालुकों, 365 जिला भूमि रिकार्ड डाटा केंद्र, 1019 उपखंडों और 16 निगरानी सेल को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है।

1988-89 में भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक मंत्रालय द्वारा 445.38 करोड़ रुपये जारी किए गए जिसमें से राज्यों और केंद्राशासित प्रदशों ने 226.23 करोड़ रुपये के इस्तेमाल की जानकारी दी है।

राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाना और भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण

भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करने के मकसद से 1987 में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने और भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई। शुरू में यह योजना बिहार और उड़ीसा के लिए मंजूर की गई थी जिसका विस्तार 1989-90 के दौरान अन्य राज्यों और संघशासित प्रदेशों में किया गया। यह योजना राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व एवं भू-सुधार विभागों के जरिए चलाई जाती है। केंद्र और राज्य इसके लिए बराबर-बराबर (50:50) के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं लेकिन संघशासित राज्यों को केंद्र से पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के तहत आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों जैसे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीएसपी), ईडीएम, टोटल स्टेशन्स, थियोडोलाइट्स, वर्क स्टेशन्स, एरियल सर्वे, फोटो कोपियर्स जैसे कार्यालय उपकरण, लेमिनेटिंग मशीनें और बाइंडिंग मशीनें खरीदने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। राजस्व विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने, पटवारियों के लिए कार्यालय एवं आवास का निर्माण कराने, प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण, मरम्मत व जीर्णोद्धार और प्रशिक्षण उपकरणों आदि की खरीद के लिए भी आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता की मद में 31 मार्च, 2006 तक राज्यों व संघशासित प्रदेशों को 324.89 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए गए थे। इसमें से राज्यों व संघशासित प्रदेशों ने 232.81 करोड़ रुपये के उपयोग की रिपोर्ट भी दे दी थी जो जारी की गई कुल धनराशि का लगभग 72 प्रतिशत है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

स्वच्छ पेयजल जीवन की मौलिक आवश्कता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हमेशा से सरकार की प्राथमिकता रही है। 1986 में, राष्ट्रीय पेयजल मिशन नामक पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई थी जिसे 1991 में 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन' का नाम दिया गया। इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं :

1. सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना,
2. स्थानीय समुदायों को स्वच्छ पेयजल के स्रोतों के रख-रखाव में मदद करना,
3. अनुसूचित जातियों/जनजातियों को जल आपूर्ति पर विशेष ध्यान देना,

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाएं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान करके केंद्र सरकार राज्यों के प्रयासों को बल प्रदान करती है। राज्यों को ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं तैयार करने और उनकी मंजूरी तथा क्रियान्वयन के अधिकार दिए गए हैं। जमीनी स्तर पर पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों के विलय के लिए दसवीं योजना में सहभागिता पर बल दिया गया है जहां पंचायती राज संस्थाएं प्रमुख संस्थान होंगे।

इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनी कार्यनीति में निम्न मुद्दे शामिल हैं—(1) जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है या कुछ लोगों को ही उपलब्ध है, ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल सुविधा शीघ्र प्रदान करना; (2) प्रभावित निवास-स्थानों में जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटना तथा जल-गुणवत्ता प्रबंधन तथा निगरानी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देना; (3) तंत्र एवं स्रोत, दोनों की निरंतरता को बढ़ाना तथा पेयजल सुविधासंपन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जनसंख्या की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति में काफी हद तक सफलता मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लाख हैंडपंप और दो लाख पाइप जलयोजनाओं से अधिक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। 1972-73 में आरंभ हुए इस कार्यक्रम को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 100 या अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण बस्तियों में विशेषकर जहां इसका सर्वथा अभाव है, जलापूर्ति करना, जल स्रोतों/व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करना और जलसंभरण विधि से जल की गुणवत्ता और इसकी निगरानी को संस्थागत बनाने संबंधी समस्याओं से निपटना है।

एक अप्रैल 2005 तक 96.13 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की पूरी सुविधा हो गई जबकि 3.55 प्रतिशत में आंशिक सुविधा हो सकी और 0.32 प्रतिशत में यह सुविधा बिलकुल भी नहीं उपलब्ध हो पाई। इसका मुख्य कारण भूजल स्तर का नीचा होना, पुरानी जलव्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि है।

पेयजल आपूर्ति भारत निर्माण के छह घटकों में से एक है जिसकी परिकल्पना 2005-06 से 2008-09 तक चार वर्षों में मजबूत ग्रामीण आधारभूत संरचना के उद्देश्य से की गई है। इसके तहत छूटे हुए क्षेत्रों, अभावग्रस्त क्षेत्रों और जलगुणवत्ता प्रभावी क्षेत्रों में जलापूर्ति करना है। भारत निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से समयबद्ध कार्ययोजना ली गई हैं।

1999 में समुदाय आधारित ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को संस्थागत रूप देने हेतु जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नांकित आधारभूत सिद्धांतों के समावेश पर जोर दिया गया

है : (i) योजना की रूपरेखा तैयार करने, वित्त नियंत्रण तथा प्रबंधन में निर्णय क्षमता के जरिए परियोजना में ग्रामीणों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अधिकारसंपन्न बनाकर मांग-प्रेरित, उत्तरदायी तथा अनुकूलनीय दृष्टिकोण अपनाना, (ii) सरकार की भूमिका सीधे सेवा प्रदाता की बजाए सुविधा प्रदाता की बनाना, तथा (iii) नकद या वस्तु-सहायता अथवा दोनों के रूप में आंशिक लागत सहभागिता और उपयोगकर्ताओं द्वारा क्रियान्वयन तथा रखरखाव का संपूर्ण दायित्व लेना।

प्रायोगिक कार्ययोजना के तहत सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए देशभर से 67 जिलों को चुना गया है। इन पाइलेट परियोजनाओं से मिले अनुभव के आधार पर 25 दिसंबर, 2002 से यह सुधार कार्यक्रम देशभर में *स्वजलधारा* के नाम से चलाया जा रहा है। स्वजलधारा का मुख्य बिंदु योजना, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव में ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति/पंचायतीराज संस्थाओं का जुड़ाव है। इससे इस व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित होगी। इसमें समुदाय द्वारा 10 प्रतिशत का अंशदान किया जाता है जबकि 90 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में सामुदायिक अंशदान नगद, श्रम या भूमि या मिला-जुला कर दिया जा सकता है।

ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल की निरंतर आपूर्ति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन में अंतर संबंध के लिए एकीकृत कार्ययोजना अपनाई है। मिशन का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना है।

फरवरी 2006 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायतों और ग्राम जल व स्वच्छता समितियों द्वारा जमीनी स्तर पर पेयजल स्रोतों की निगरानी के लिए सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत करना और फिर जिला तथा राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में घनात्मक परीक्षित नमूनों का पुनःपरीक्षण करना है।

इसके अतिरिक्त, 2006-07 से सरकार द्वारा पेयजल समस्या से निपटने के लिए केंद्रित निधि देने की पहल की गई है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम की 20 प्रतिशत निधि जल गुणवत्ता संबंधी समस्या से निपटने के लिए अलग की गई है। जल गुणवत्ता के अंतर्गत 2006-07 के लिए इस कार्यक्रम में 20 प्रतिशत निधि आबंटन किया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

ग्रामीण स्वच्छता राज्य का विषय है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को बल प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन-शैली में सुधार और महिलाओं की निजता एवं गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम 1986 में शुरू किया गया था। वर्ष 1993 में स्वच्छता की अवधारणा में विस्तार किया गया। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, गृह स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल तथा कूड़े-कचरे, मानव मल-मूत्र और नाली के दूषित पानी के निस्तारण को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के घटकों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले ग्रामीणों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, सूखे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना, महिलाओं के लिए ग्राम स्वच्छता परिसर का निर्माण, ग्रामीण स्वच्छता बाजारों और उत्पादन केंद्रों की स्थापना और स्वास्थ्य शिक्षा जागरूकता के लिए सघन अभियान चलाना शामिल है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संगठनों व अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के अनुभवों और राष्ट्रीय

ग्रामीण स्वच्छता पर आयोजित दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों के मद्देनजर नौवीं योजना को संशोधित किया गया और पहली अप्रैल, 1999 से इस कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित कार्यक्रम को चरणबद्ध क्रम में गरीबी के मानदंड के आधार पर प्रदेशवार धन आवंटित करने के सिद्धांत से हटाकर 'मांग प्रेरित' पहल की ओर केंद्रित किया गया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) शुरू किया गया और आवंटन आधारित कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च, 2002 तक समाप्त कर दिया गया। टीएससी समुदाय-निर्देशित और व्यक्ति-केंद्रित है। कार्यक्रम में उच्च सब्सिडी के स्थान पर निम्न सब्सिडी की तरफ झुकाव था। संपूर्ण स्वच्छता अभियान जागरूकता पैदा करने तथा वैकल्पिक वितरण व्यवस्था द्वारा मांग-पूर्ति पर बल देता है। ग्रामीण लोगों में स्वच्छता प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कूल स्वच्छता को इसका मुख्य अंग बनाया गया। राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र से सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है।

संपूर्ण स्वच्छता योजना के तहत 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अब तक 559 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल लागत 6240.27 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र का हिस्सा 3675.38 करोड़ रुपये, राज्यों का हिस्सा 1424.09 करोड़ रुपये और लाभार्थियों/पंचायतों का हिस्सा 1140.80 करोड़ रुपये है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत 559 परियोजनाओं के घटक हैं—(क) 499 लाख परिवारों हेतु निजी शौचालयों का निर्माण, (ख) स्कूलों के लिए 6,56,690 स्कूल शौचालयों का निर्माण, (ग) 36,098 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, (घ) बालवाड़ियों/आंगनवाड़ियों के लिए 1,99,033 शौचालयों तथा 4,030 ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केंद्रों की स्थापना। इसके अलावा कार्य शुरू करने, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा प्रशासनिक खर्च के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। वर्ष 2005-06 तक 14,48,1807 शौचालयों का निर्माण किया गया।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने पूर्णत: स्वच्छ और खुले में मल त्याग विहीन ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिलों के लिए 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' योजना शुरू की। स्थापना के पहले ही वर्ष में 40 पंचायती राज संस्थाओं को 24 फरवरी, 2005 को यह पुरस्कार मिले। दूसरे वर्ष में पुरस्कार विजेताओं की संख्या बढ़कर 772 हो गई और 23 मार्च, 2006 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने इन पुरस्कारों को बांटा।

निगरानी और मूल्यांकन

ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों में लागू किए जा रहे सामान्यत: सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन और रोजगार-सृजन कार्यक्रमों के मूल्यांकन और निगरानी पर विशेष बल देता है।

यह तथ्य भली-भांति स्वीकार किया गया है कि कार्यक्रमों की सफलता काफी हद तक प्रभावकारी वितरण प्रणाली और निचले स्तर पर प्रभावकारी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। इससे कार्यक्रमों के पूरे लाभ ग्रामीण निर्धनों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-उपकरण निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। निगरानी तंत्र में अन्य बातों के अलावा कार्य निष्पादन समीक्षा समिति, ग्रामीण विकास मंत्री और उनके राज्य मंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों/ग्रामीण विकास मंत्रियों और राज्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन, क्षेत्र अधिकारी योजना, समय-समय पर प्रगति रिपोर्टें तैयार करना, लेखा परीक्षा और उपयोगिता प्रमाणपत्र, वीडियो कांफ्रेंसिंग और क्षेत्र यात्राएं शामिल

हैं। सरकार सभी प्रमुख कार्यक्रमों का द्रुत मूल्यांकन/समवर्ती मूल्यांकन करती है। चुने हुए जिलों में ग्राम स्तर पर कार्यक्रमों के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी कराए जाते हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और उनमें अधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में सतर्कता और मूल्यांकन समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों में अन्य लोगों के अलावा संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य, पंचायती राज संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। सांसदों (लोकसभा और राज्यसभा दोनों) को पुनर्गठित सतर्कता एवं मूल्यांकन समितियों में केंद्रीय भूमिका सौंपी गई है और उन्हें जिलास्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समितियों का अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

मंत्रालय ने पेयजल आपूर्त्ति के विकास कार्यक्रमों के लिए और ग्रामीण विकास विभाग (पी.एम.जी.एस.वाई. और एन.आर.ई.जी.ए. छोड़कर) के कार्यक्रमों के लिए निगरानी संयुक्त तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए भी कदम उठाये हैं। जिला स्तरीय निगरानी के अंतर्गत शामिल किये गए देश के 466 जिलों में भूमि संसाधनों को प्रारंभ कर दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए 46 स्वतंत्र संगठनों को शामिल किया गया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की प्रगति की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से रिपोर्ट प्रारूप में निरंतर पारदर्शी और उत्तरदायी निगरानी प्रदान करना है। इसका उद्देश्य ग्राम, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर क्रियान्वयन में कमियों का पता लगना भी है। इस निगरानी व्यवस्था में सभी संबंद्ध पक्षों के नजरिये जाने जाते हैं, संस्थागत मुद्दों का आकलन तथा केस अध्ययन और सर्वोत्तम कार्यप्रणाली, नवाचार और सीखों का प्रलेखन किया जाता है।

इस निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास 250 राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षकों का पैनल है जिसमें सेवानिवृत्त सेना अधिकारी और सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी शामिल हैं जो मंत्रालय से उनको प्राप्त किसी भी शिकायत सहित चयनित जिलों में कार्यक्रम क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं और मंत्रालय को नियमित रिपोर्ट भेजते हैं।